न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 34 / 2022 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2022 / 73

उनवान

1. पूरण पुत्र सीताराम जाति पूर्विया जाति पूर्विया निवासी रौंसी तहसील नादौती जिला करौली।

.... अपीलांटस्।

बनाम

1. अतरसिंह पुत्र मूलचन्द
2. छतर सिंह पुत्र मूलचन्द
3. ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द
4. गीता देवी पुत्री मूलचन्द
5. नारायण पत्नी मूलचन्द
6. राधेश्याम पुत्र दुलेराम
7. रामपति पत्नी रामकिशोर
8. कमलेश पुत्र रामकिशोर
9. रमेश पुत्र रामकिशोर
10. पुष्पा पुत्री रामकिशोर
11. सबोद पुत्री रामकिशोर
12. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील नादौती।

...रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 11 अनुपस्थित
3. श्री पैरोकार सरकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 17.04.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ नादौती जिला करौली में दायर राजस्व वाद संख्या 144 / 10 बउनवान सीताराम बनाम मूलचन्द वगैरह में पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2020 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी नादौती के समक्ष बावत् स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि खसरा नंबर 395 रकबा 2.56 है0 स्थित भूमि ग्राम रौंसी तहसील नादौती में वादी सीताराम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। प्रतिवादीगण, वादी सीताराम के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते है। अतः अनुतोष चाहा गया कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण ने जवाब में काउन्टर क्लेम में वादी के तथ्यों को गलत बताकर अस्वीकार किया एवं वादी ने भू-प्रबन्ध अधिकारियों से मिलकर राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी में अपना नाम गलत दर्ज करवाया होना बताया। वादी के पिता ने उक्त आराजीयात जिसके साबिक खसरा नंबर 128 रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा में से 20 बीघा भूमि दिनांक 21.12.1978 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को बेचान कर दिया। उसी प्रकार शेष आराजीयात 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को दिनांक 16.06.1979 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया। इस प्रकार संपूर्ण आराजीयात प्रतिवादीगण की भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण ही कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। वादी का उक्त आराजीयात से कोई वास्ता नही है।

मातहत अदालत ने दिनांक 16.03.2020 को निर्णय व डिक्री जारी कर आदेश किया कि "दावा वादी खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 395 रकबा 2.56 है0 स्थित ग्राम रौंसी का प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को खातेदार एवं काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है।" उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सीताराम पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु दिनांक 03.05.2020 को हो गयी थी तथा अपीलाधीन निर्णय जो दिनांक 16.03.2020 को तहत न्यायालय ने पारित किया है उसमें अपीलान्ट को कायम मुकाम बनाया जाकर सीताराम को मृतक दर्शाकर पारित किया है इससे स्पष्ट है कि दिनांक 16.03.2020 को वादी सीताराम जीवित था तो किस आधार पर उसको मृतक दर्शाया है। अतः मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। आगे उल्लेख है कि दिनांक 30.08.2018 की आदेशिका से स्पष्ट है कि वादी का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया तो लगभग दो

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

वर्ष पश्चात् प्रतिवादीगण ने दिनांक 03.03.20 को पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 16.03.20 को उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वादी सीताराम को नोटिस जारी करना चाहिये जो जारी नही किया गया। इससे भी यह स्पष्ट है कि मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय जल्दबाजी में किया गया है जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.20 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील के साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी सीताराम ही तारीख पेशी पर जाता था। अपीलांट के पिता सीताराम की मृत्यु दिनांक 03.05.2022 को हो चुकी थी। अपीलांट को वाद के बारे में जानकारी नही थी। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 31.05.2022 को अपीलांट को निर्णय के बारे में जानकारी हुई। तब अपीलांट ने दिांक 01.06.2022 को नकल प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय में पेश कर दिनांक 06.06.2022 को नकल प्राप्त की तथा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की। अपीलांट द्वारा जानबूझकर कोई देरी नही की गई अतः अपील पेश करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।
5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।
7. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर्डर 41 रूल 27 सी0 पी0 सी0 पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट के पूर्वज मूलचंद, रामकिशोर, राधेश्याम, पुत्रान दुलेराम गुर्जर साबिक खसरा नंबर 128 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भुमि स्थित ग्राम रौंसी तहसील नादौती को जरिये रजिस्टर विक्रय पत्र क्रय

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

किया था। यह एक आवश्यक दस्तावेज एवं न्याय निर्णय में सहायक सिद्ध होगा। रजिस्ट्री की सत्य प्रतिलिपी जिसे रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित है। पूर्व में अपीलांट के बाबा लक्ष्मण पुत्र सोन्या पुर्विया निवासी रौंसी भुमि का विक्रय रेस्पोडेन्ट के पूर्वज को किया था जिनकी सत्य प्रतिलिपी भी संलग्न की गई है। उक्त दस्तावेजो को रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

8. प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सी0 पी0 सी0 पर अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत सभी दस्तावेज "प्रमाणित दस्तोवज" है तथा "प्रोपर कस्टडी" से प्राप्त दस्तावेज है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण को निर्णित करने में सहायक सिद्व होंगे। अतः अधिवक्ता अपीलांट का प्रार्थना पत्र 41 रूल 27 सी0 पी0 सी0 स्वीकार किया जाता है। सभी दस्तावेजों को पत्रावली में संलग्न किया जावें।

9. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी सीताराम पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु के 10–12 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी गन्दोडी का देहावासन हो चुका है तथा निर्णय में वादी संख्या 122 ने शरवणी पत्नी सीताराम दर्शाया है जो गलत है शरवणी नाम की कोई भी सीताराम के परिवार में महिला नही है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा साजकर जल्दबाजी में कानूनी प्रावधानों को ताक में रखकर उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है जो विधि विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार मातहत अदालत का उक्त निर्णय व डिकी अपास्त की जावें।

10. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

11. पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2074–2077 ग्राम रौंसी पटवार हल्का रौंसी तहसील नादौती जिला करौली के खसरा नंबर 395 रकबा 2.56 है0 गुडडी पुत्री सीताराम, पुरनसिंह पुत्र सीताराम, माया पुत्री सीताराम, शान्ति पुत्री सीताराम प्रत्येंक का हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। **प्रथमः**– अदालत मातहत के उनवानी प्रकरण मे आदेशिका के अवलोकन से जाहिर आया कि दिनांक 30.08.18 को वादी का वाद पत्र अदम पैरवी में खारिज किया गया था। तत्पश्चात् लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात् प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर, **बिना वादी को सुनवाई का अवसर दिए ही** पत्रावली को नंबर पर लिया गया तथा दिनांक 06.03.20 को प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 जाब्ता दीवानी व दिनांक 12.02.20 को आदेश 022 नियम 03 का प्रार्थना पत्र एकतरफा मे स्वीकार किया गया और दिनांक 16.03.20 को काउन्टर क्लेम स्वीकार किया गया।

इस प्रकार अपीलांट/वादी को बिना सुनवाई का अवसर दिए ही प्रकरण में निर्णय पारित किया गया जो अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

द्वितीयः– निर्णय दिनांक 16.03.20 को वादी सीताराम जीवित था, परन्तु अदालत मातहत द्वारा उसमें मृत मानकर निर्णय पारित किया गया है, वह भी विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा "बिना सुनवाई का मौका दिए " निर्णय पारित किया गया है, विधि की दृष्टि में उसका कोई कानुनी महत्व नही है।

12. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पाए जाने से आंशिक स्वीकार की जाती है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली के मुकदमा नंबर 144/10 बउनवान सीताराम बनाम मूलचन्द वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2020 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को उचित सुनवाई अवसर प्रदान करते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 18.05.2023 को उपखण्ड अधिकारी नादौती के समक्ष उपस्थित होवें।
13. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 17.04..2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
17.4.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner